न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 82 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. श्रीमती अणदु पुत्री भीखाराम पत्नी तेजाराम जाति निवासी ईश्वरपुरा तहसील गुड़ामालानी 2. श्रीमती वाली पुत्री भीखाराम पत्नी गुमनाराम जाति जाट निवासी बांटा तहसील गुड़ामालानी 3. श्रीमती मुगी पुत्री भीखाराम पत्नी पुनमाराम जाति जाट निवासी रोली तहसील गुड़ामालानी	1. भीखाराम पुत्र फुआ का.मु. अपीलांट संख्या 01 से 03 2. आईदानराम पुत्र पूनमाराम जाति जाट निवासी ईश्वरपुरा तहसील गुड़ामालानी 3. तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व वाद संख्या 246 / 2015 बअनवान अणदु बनाम भीखाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017।

उपस्थित

1. अधिवक्ता श्री रामजीवन विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री रावताराम प्रजापत रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—31.08.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलकर्ता वादीनी द्वारा एक राजस्व वाद 88, 40, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया कि मौजा ईश्वरपुरा पटवार क्षेत्र बांटा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा संख्या 141 रकबा 02.18 बीघा भूमि वादीगण के संयुक्त परिवार, पैतृक व पुश्तैनी है। जिसका वादीनीगण के दादा फुआ के नाम से बंदोबस्त हुआ। भूमि पैतृक होने के कारण वादीनीगण का जन्म से ही हक हिस्सा उत्पन्न हो गया है। इस कारण उक्त आराजी में वादीनीगण को प्रतिवादी संख्या 01 भीखाराम के साथ सहखातेदार घोषित करार देते हुए वादीनीगण प्रत्येक का 1/4—1/4 हिस्सा की खातेदारी घोषित की जावे तथा निषेधाज्ञा जारी की जावे इस आशय का पेश किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प बांटा में रखने की सूचना अपीलांटगण

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

को नहीं दी गई। उक्त प्रकरण का निस्तारण करने से पूर्व वादीनीगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिला। अपीलांटगण/वादीनी ने अपना वाद 1/4–1/4 हिस्से की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया था जो कि राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रगणित है किसी भी खातेदारी भूमि में घोषणा राजस्व न्यायालय ही कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत के उद्देश्य को दरकिनार करते हुए मनमर्जी व विधि विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित किया गया जो काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादीनीगण के दादा फुआ के नाम से बंदोबस्त हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद की पत्रावली को लोक अदालत केम्प कोर्ट बांटा में रखी गई, जिस बाबत अपीलांटगण/वादीनी को किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया। प्रकरण में वाद की प्रक्रिया को अपनाये बिना यथा तनकीयात कायम कर साक्ष्य रेकर्ड पर लेकर वाद को गुणावगुण पर निस्तारित करना था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी मनमर्जी से अपीलांटगण का वाद स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आराजी को पैतृक सम्पति होना, वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 भीखाराम की वारीस व उतराधिकारी है व भूमि पैतृक होने से अधिकार प्राप्त होना माना है। इसके बावजूद भी अपीलाधीन आराजी में वादीनीगण प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा की खातेदारी घोषित नहीं करने में कानूनन भूल की है। वादीनीगण के दादा फुआ के नाम से बंदोबस्त हुआ। भूमि पैतृक होने के कारण वादीनीगण का जन्म से ही हक हिस्सा उत्पन्न हो गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मुख्यालय बांटा में अपीलाधीन आदेश अपीलांटगण की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो काबिल निरस्त है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 01 भीखाराम फौत हो चुका, जिसका हिस्सा की अपीलांटगण प्राप्त करने के हकदार होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही व त्रुटिरहित निर्णय व डिक्री पारित की गई। खसरा संख्या 414 रकबा 239.19 बीघा का था, जिसका बैचान अपीलांट/वादीनीगण के वाद पत्र के कथनानुसार अपीलांटगण के पिता भीखा के द्वारा बैचान कर दिया गया। जिसके संबंध में अपीलांटगण कोई चाराजोही नहीं की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गई। केवल मात्र कपटपूर्वक दुराशय से उत्तरदाता संख्या 02 द्वारा खरीदशुदा जमीन में विद्यान उत्पन्न करने व उत्तरदाता संख्या 02 को नाहक तंग, परेशान करने की नियत से वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। हस्तगत वाद विधि सम्मत नहीं होने के कारण वादीगण उत्तरदाता संख्या 02 के विरूद्ध किसी प्रकार की सहायता पाने के हकदार नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हस्तगत प्रकरण की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुख्यालय बांटा में सुनवाई हेतु रखी। इस बाबत अलग से न तो सूचना थी न ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया। अपीलांटगण की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। वादिनी/अपीलांटगण का हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों मुताबिक इस पुश्तैनी वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हक निहित था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय स्वयं ने अपने निर्णय में स्वीकार किया है। तत्पश्चात यदि कोई विक्रय विलेख निष्पादित हुआ है तो वह उसके हक–हिस्से तक प्रारंभत शून्य एवं निष्प्रभावी(Null & Void) है उसे निष्प्रभावी कराने की कोई इस्तदुआ अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण/वादिनी के द्वारा प्रस्तुत वाद में नहीं चाही है। वादिनीगण को अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी कैम्प कोर्ट में एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांटगण/वादीनी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व वाद संख्या 246/2015

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बअनवान अणदु बनाम भीखाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थिया/वादीनीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर बाद समुचित सुनवाई गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.10.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 31.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर